<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 694 / 14

संस्थापन दिनांक : 30.07.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1—पिन्टूसिंह पुत्र विश्वनाथसिंह तौमर, उम्र 20 वर्ष 2—रविसिंह पुत्र विश्वनाथसिंह तौमर उम्र 21 वर्ष 3—वकीलसिंह पुत्र विश्वनाथसिंह तौमर उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.05.14 को प्रातः 10:00 बजे भौनपुरा तिराहा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अंकित अ०सा०2 की धारदार उपकरण कुल्हाड़ी एवं लाढियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.05.14 को फरियादी अंकितसिंह अ0सा02 अपने मामा के गांव इकहारा से अपनी मां सुमनलता अ0सा03 के साथ आ रहा था। सिहोंनिया में बरौना के नाथू तौमर अ0सा01 की मार्शल गाड़ी में बैठे थे कि बगल से टैक्टर वाला उसके हाथ में घसीटते हुए निकला तब उसने टैक्टर वाले से टैक्टर देखकर चलाने के लिए कहा इसी बात पर टॉली में बैठे पिन्टू से उसका मुंहवाद हो गया। लगभग दस बजे जब उन लोगों की मार्शल गाड़ी भौनपुरा तिराहा के पास आई तो पिन्टू, रिव, वकील और रामौतार का लड़का हाथों में डण्डा लिए तथा एक लड़का कुल्हाड़ी लिए था इन्होंने

मार्शल गाड़ी को रोक लिया तथा उसे मार्शल से नीचे उतारकर डण्डा व कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट करने लगे तथा उसे अश्लील गालियां देने लगे तब अंकित अ0सा02 की मां एवं डाइवर नाथू यादव अ0सा01 बीच बचाव करने आये तो आरोपीगण ने उनकी भी डण्डों से मारपीट की। मारपीट में उसके बांये की कोहनी के पास कुल्हाड़ी से कटकर खून निकलने लगा तथा बांये कंधे में चोटें आई तथा उसकी मां को पीठ में एवं डाइवर नाथू के होंठ में चोट लगकर खून निकलने लगा। तत्पश्चात फरियादी अंकितसिंह अ0सा02 ने थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर थाना एण्डोरी में अप0क0 34/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.05.14 को प्रातः 10:00 बजे भौनपुरा तिराहा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अंकित अ0सा02 की धारदार उपकरण कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- 5. अंकितसिंह अ०सा०२ ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व वह जीप से ग्राम नौनेरा से जा रहा था उसके साथ सुमनलता अ०सा०३ व उसकी बहन प्रियंका भी थी तब आरोपी पिन्टू जो टैक्टर लेकर जा रहा था की टॉली उसकी शर्ट में लग गयी जिससे वह फट गयी। इस बात पर पिन्टू से मुंहवाद हो गया फिर दोपहर 10 बजे भौनपुर पर आरोपीगण मिले जिनसे झूमाझटकी हो गयी इसके बाद आरोपीगण भाग गये उसने घटना की रिपोर्ट प्र०पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर नहीं आई नक्शामौका प्र०पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः आहत अंकित अ०सा०२ जो फरियादी भी है, ने स्वयं को कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है।
- 6. सुमनलता अ0सा03 ने भी मुख्यपरीक्षण में अंकित अ0सा02 के कथन का समर्थन किया है और इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाड़ी से अंकित अ0सा02 की मारपीट की थी। नाथू अ0सा01 ने भी मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसे नहीं पता कि आरोपीगण ने अंकित अ0सा02 की कुल्हाड़ी से मारपीट की थी और स्वतः कथन किया है कि लाठी में कुल्हाड़ी लगी थी और प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अंकित अ0सा02 के टैक्टर से चोट आई थी जो बांये हाथ के कंधे में आयी थी। अंकित अ0सा02 के स्वीकृत चिकित्सीय परीक्षण

प्रतिवेदन प्र0पी—4 में कटा हुआ घाव हाथ में ही उल्लिखित है लेकिन उक्त घाव नाथूसिंह अ0सा01 ने कुल्हाडी से आना नहीं बताया है। अतः नाथू अ0सा01 ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

- 7. अभियोजन मामले में उपरोक्त तीनों साक्षीगण के अतिरिक्त घटना का अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं है लेकिन उक्त साक्षीगण ने स्पष्ट इंकार किया है कि अंकित अ0सा02 को आरोपीगण ने कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई थी जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 09.05.14 को प्रातः 10:00 बजे भौनपुरा तिराहा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अंकित अ0सा02 की धारदार उपकरण कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
- 8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 9. अारोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते है।

दिनांक :-

सही / – तम्, रहेट प्रश्वाला भिण्ड म (गोपेश गर्ग)